26/3/14 पत्रावली। प्रार्थी विधवा पेंशन के संबंध में अधिवक्ता श्री विश्वनाथ सिंह के मिसल तलबी के आवेदन पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने आवेदन देकर निवेदन किया है कि प्रार्थी आवेदन स्वयं आ-जा नहीं सकते है आवेदन स्वयं किस प्रकार की जावे। प्रार्थी की सहायता वकील श्री श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा की गई। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वयं किया किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसला शुदा होकर नकल हो चुका है।

जारी

उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़